UPGB010071762026

न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 2985 सन् 2026

सृष्टि गुप्ता पुत्री श्री सुनील दत्त गुप्ता **प्रति** उ0प्र0 सरकार।

आदेश / 05.08.2026

1. आवेदिका/अभियुक्ता सृष्टि गुप्ता द्वारा मु0अ0सं0 158 सन् 2026, अंतर्गत धारा 191(2), 190, 125, 326(जी), 333, 324(4), 115(2), 351(2), 3(5), 61(2) भा0न्याय0सं0 एवं धारा 7 क्रि0लॉ0ए0 एक्ट, थाना सैक्टर–63, जिला गौतमबुद्धनगर में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी मुकदमा प्रदीप दीक्षित द्वारा दिनांक 14.04.2026 को समय 19:31 बजे थाना सैक्टर–63, जिला गौतमबुद्धनगर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 13.04.2026 को समय करीब 01:30 बजे कुछ असामाजिक तत्व आये और भीड़ इकट्ठा हुई और वर्कशॉप में पत्थरबाजी शुरू कर दी और वर्कशॉप के अंदर कूद गये और गार्ड को जान से मारने की कोशिश की तथा अंदर कुछ कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी। हमने समय 01:49 बजे 100 नंबर पर कॉल किया, जिसका कम्पलेन नंबर पी13042612389 है और गाड़ियों में आग लगाना शुरू कर दिया और अंदर खड़ी गाड़ियों व वर्कशॉप के शीशे भी तोड़ दिये और पथराव से आसपास के दुकानदार कम्पनी वालों ने गेट बंद कर दिये और चारों तरफ भय का माहौल हो गया। उसके साथ आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को 1:57 पर कॉल किया। उसके बाद उन्होंने एक नम्बर 01202521111 दिया, जिसकी सूचना हमने 2:02 पी0एम0 पर दे दी। गाड़ियों की डिटेल और वर्कशॉप इस प्रकार है–यू0पी0 14 एफ.एस. 1347 बलेनो, यू0पी0 13 बी.एस. 4733 बलेनो, यू0पी0 16 क्यू.टी. 9406 डिजाइर, यू0पी0 16 ई0जे0 5758 आल्टो, यू0पी0 14 एफ.डब्लू. 1164 वैगनआर, यू0पी0 14 एफ.एक्स. 2923 इर्टिगा बाईक डिटेल यू0पी0 81 सी.जैड. 2546 स्पलेण्डर, यू0पी0 15 ई.एक्स. 3603 स्पलेण्डर, यू0पी0 14 ई.एफ. 1046 स्कूटी, यू0पी0 81 ए0क्यू0 8622 पल्सर, यू0पी0 16 बी0डब्लू0 4049 टीवीएस स्कूटी, डी0एल0 11 एम 5257 स्कूटी, गार्ड रूम, वर्कशॉप ग्लास, 36 कार ग्लास, बॉडी डमैज संबंधित विपुल मोटर्स प्रा0लि0 है।

3. आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत में यह आधार लिया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हो चुका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 30 घण्टे की देरी से लिखायी गयी है, जबकि विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता को पुलिस द्वारा दिनांक 11.04.2026 को बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन, नोएडा से गिरफ्तार कर दिनांक 12.04.2026 को धारा 126,135,170 बीएनएसएस थाना सैक्टर–39, नोएडा में रिमांड बनाकर जेल भेज दिया गया था, जिससे यह साबित होता है कि उक्त मुकदमे में कथित घटना की दिनांक 13.04.2026 को आवेदिका/अभियुक्ता जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध थी।

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

आवेदिका/अभियुक्ता को दिनांक 15.04.2026 को जिला कारागार से तलब कर मु0अ0सं0 163/2026 थाना फेस–2, नोएडा में रिमांड बनाकर जेल भेज दिया गया। उक्त कथित घटना दिनांक 13.04.2026 के करीब 02 माह बाद दिनांक 18.06.2026 को जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर से तलब कर उपरोक्त मुकदमें में रिमांड बनाकर जेल भेज दिया गया। आवेदिका/अभियुक्ता कथित घटना को जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध थी। आवेदिका/अभियुक्ता दिनांक 18.06.2026 से जेल में निरूद्ध है। आवेदिका/अभियुक्ता का कोई पूर्वकालिक आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता फैक्ट्री में मजदूर है। आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत प्रदान कर दी जाये।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

5. मैंने आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. अभियोजन के अनुसार आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर बलवा कारित करने, वादी मुकदमा के वर्कशॉप में घुसकर तोड़फोड़ व आगजनी करने, मारपीट करने, धमकी देने का आरोप है।

वादी मुकदमा प्रदीप दीक्षित द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. में दिनांक 13.04.2026 को समय करीब 01:30 बजे उसकी विपुल मोटर्स प्रा0लि0 वर्कशॉप में करीब 150–200 व्यक्तियों द्वारा भीड़ के रूप में उसके वर्कशॉप पर आकर वर्कशॉप में पत्थरबाजी करने, ड्यूटी पर तैनात गार्ड पारसनाथ शर्मा को जान से मारने की धमकी देने, वर्कशॉप में अंदर घुसकर वर्कशॉप के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने व गाड़ियों में तोड़फोड़ व आगजनी करने का कथन किया गया है।

साक्षी दिनेश कुमार द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. में स्वयं को मदरसन कम्पनी सैक्टर–84 के ए–4 यूनिट में गार्ड की नौकरी करने, दिनांक 10.04.2026 को उसकी ड्यूटी दिन के समय इसी गेट पर होने, काफी बड़ी संख्या में श्रमिकों द्वारा होजरी काम्पलेक्स एवं मदरशन कम्पनी के सामने इकट्ठा होकर सड़क जाम करने, जिसकी सूचना पुलिस को देने, पुलिस के आने, दिनांक 11.04.2026 को श्रमिकों द्वारा रोड जाम कर रूपेश राय, आदित्य आनन्द द्वारा भड़काउ भाषण देने, इनके साथ तीन लड़कियां आकृति, सृष्टि, मनीषा होने, दिनांक 13.04.2026 को हिंसक आंदोलन करने, इनके गैंग में आदित्य आनन्द, सृष्टि गुप्ता, रूपेश राय, आकृति, मनीषा, सत्यम वर्मा, हिमांशु ठाकुर, मदुरेश राय, प्रियम्बाद शर्मा, प्रेरित लोढ़ा, नरेश, अभिषेक आदि जुड़े होने, जिनके द्वारा तोड़फोड, आगजनी करने का कथन किया गया है।

साक्षी धर्मेन्द्र कुमार द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस में स्वयं को मदरसन कम्पनी सैक्टर–84 के ए–4 यूनिट में गार्ड के पद पर कार्यरत होने, दिनांक 10.04.2026 को हजारों की संख्या में श्रमिकों द्वारा होजरी काम्पलेक्स एवं मदरसन कम्पनी के सामने एकत्र होकर रोड जाम करने, दिनांक 11.04.2026 को और अधिक संख्या में श्रमिकां की भीड़ एकत्र होने, रूपेश राय, आदित्य आनन्द द्वारा रोड जाम कर भड़काऊ भाषड़ देने, उनकी वीडियो उन्हीं के साथी हिमांशु द्वारा बनाये जाने, इनके साथ आकृति, सृष्टि, मनीषा, मदनेश राय, हिमांशु ठाकुर, योगेश मीणा, प्रियम्बदा, प्रेरित लोड़ा को नाम से पुकारने, इनका एक साथी सत्यम वर्मा होने, उक्त के परिणाम स्वरूप दिनांक 13.04.2026 को श्रमिकों के द्वारा हिंसक आंदोलन करने, इनके द्वारा विभिन्न कम्पनियों के मजदूरों को उकसाकर आगजनी, तोड़फोड की घटना कराने का कथन किया गया है।

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

साक्षी शीलेन्द्र कुमार द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस में अपनी कम्पनी का नाम पैरामाउण्ट बताने, दिनांक 13.04.2026 को श्रमिकों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हिंसक आंदोलन करने, कम्पनियों में काम करने वाले मजदूर/श्रमिकों को बाहरी व्यक्तियों द्वारा आकर भड़काने, बाहरी व्यक्तियों द्वारा भाषणबाजी करते समय आपस में एक–दूसरे का नाम रूपेश राय, आदित्य आनन्द, हिमांशु ठाकुर, सत्यम वर्मा, योगेश मीणा, मदुरेश राय, मनीषा, आकृति, सृष्टि लेने, इनके द्वारा कम्पनी में काम करने वाले मजदूरों को उकसाने, जिसके परिणाम स्वरूप उकसाने पर नोएडा में विभिन्न कम्पनियों में मजदूरों द्वारा आगजनी व तोडफोड करने का कथन किया गया है।

साक्षी शत्रुघन पंडित द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस में स्वयं को लाईन सुपरवाईजर होना, उसकी लाईन में 35 आदमी का काम करना, उसकी ड्यूटी सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे शाम तक होना, दिनांक 13.04.2026 को नरेश व अन्य मजदूर कम्पनी में काम करने के लिए आना, लगभग 10 बजे कम्पनी में काम करने वाले सभी मजदूरों द्वारा हड़ताल करना, सैलरी बढ़ाने को लेकर कम्पनी के बाहर प्रदर्श करना, नारेबाजी करना, पत्थरबाजी करना, फोटो देखकर रूपेश राय, मदरेश राय, हिमांशु ठाकुर, आदित्य आनन्द, योगेश मीणा, प्रेरित लोढा, सृष्टि गुप्ता, मनीषा, प्रियम्दबा शर्मा को पहचानने का कथन किया गया है।

इसी प्रकार का बयान साक्षी रामतीर्थ द्वारा देते हुए अभियुक्त रूपेश राय, मदरेश राय, हिमांशु ठाकुर, आदित्य आनन्द, योगेश मीणा, प्रेरित लोढा, सृष्टि गुप्ता, मनीषा, प्रियम्दबा शर्मा की फोटो देखकर पहचानने का कथन किया गया है।

अभियोजन द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता को बिगुल मीडिया ग्रुप व रिचा ग्लोबल ग्रुप की सक्रिय सदस्य होना बताया गया है।

घटना की सीसीटीवी की फुटेज पैन ड्राईव में वादी द्वारा दिया जाना, जिसे संलग्न सी0डी0 किया जाना, जिसमें काफी संख्या में लोगों के द्वारा घटना कारित किया जाना बताया गया है। आंदोलनकारियों द्वारा द्वारा घटना स्थल पर 06 चार पहिया वाहनों एवं 06 दो पहिया वाहनों में आग लगाकर नष्ट किया जाना व 38 गाड़ियों में तोड़फोड किया जाना बताया गया है। तोड़फोड़ व आग लगाने से नष्ट हुए चार पहिया वाहनों व दो पहिया वाहनों के कुछ फोटोग्राफ संलग्न सी0डी0 किया जाना तथा उनकी तकनीकी परीक्षण आख्या भी संलग्न सी0डी0 किया जाना बताया गया है।

फर्द बरामदगी में घटना स्थल से घटना में प्रयुक्त लाठी, डंडे, लोहे की सरिया, एंगल आदि 16 अदद, 20 टुकड़े पत्थर (छोटे, बड़े), 15 ईंट के टुकड़े, घ ाटना के दौरान अफरा तफरी व भगदड़ मचने के दौरान आम जन मानस के छूटे हुए जूते, चप्पल कुल 18 नग, घटना में गाड़ी जलाने में प्रयुक्त पैट्रोल लाने से संबंधित दो प्लास्टिक की बोतल बिना ढक्कन आदि बरामद किया जाना बताया गया है।

जमानत पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, अभियुक्त की भूमिका, उपलब्ध प्रथमदृष्टया साक्ष्य तथा समाज पर अपराध के प्रभाव को ध्यान में रखना होता है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। केस डायरी पर उपलब्ध साक्ष्य से आवेदिका/अभियुक्ता का घटना में प्रथमदृष्टया संलिप्त होना दर्शित होता है।

घटना सामुहिक हिंसा एवं औद्योगिक क्षेत्र की कानून व्यवस्था से संबंधित गम्भीर प्रकृति की है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। ऐसी परिस्थिति में आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत दिये जाने से गवाहों को प्रभावित किये जाने तथा समाज में प्रतिकूल संदेश जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

इसके अतिरिक्त आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध 10 अन्य आपराधिक मुकदमे पंजीकृत होना बताया गया है।

अतः इस प्रकार केस की गंभीरता एवं प्रकृति तथा मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर छोड़े जाने के आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

7. आवेदिका/अभियुक्ता **सृष्टि गुप्ता** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

(सुनील कुमार–I)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
जनपद गौतमबुद्धनगर।
(जे0ओ0 कोड यू0पी0 6075)

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.08.06 10:17:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court